सं0-08/2016/8967/62-2-2015-2/3(12)/2015

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड,,
सीतापुर।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 के अधीन (टी0एस0पी0) के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम छ:माही हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-271/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2015-16, दिनांक 01-12-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत् अनुदान सं0-81(टी0एस0पी0) के अधीन आयोजनागत पक्ष में जिला योजनान्तर्गत संचालित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में टी0एस0पी0 के कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि `-20.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1486/62-2-2015-2/3(12)/2015, दिनांक 04-6-2015 द्वारा प्रथम छ:माही हेतु धनराशि `-10.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि `-10.00 लाख (` दस लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की उक्त शासनादेश सं0-1486/62-2-2015-2/3(12)/2015, दिनांक 04-6-2015 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में होने वाली कुल बचतों में समायोजित किया जायेगा।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 (टी0एस0पी0) के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना-04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश सं0-07/26/ब0प्र0-2015, दिनांक 27-03-2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-08/2016/8976(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-08/2016/8967/62-2-2015-2/3(12)/2015लखनऊ: दिनांक:27 जनवरी,2016

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-81 (टी0एस0पी0) के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना-04-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	अनुपूरक परिव्यय	कुल परिव्यय	बजट प्राविधान	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	खीरी	15.00	05.00	20.00	20.00	10.00	10.00
	योग-	15.00	05.00	20.00	20.00	10.00	10.00

(रूपये दस लाख मात्र)

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।